कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्या: 606/सीईओ–2–15/2–2018 **दिनांक: 24 सितम्बर, 2020**

सेवा में,

अध्यक्ष/महासचिव,
Rashtriya Yuva Morcha Dal
Village-Baliji, Post-Phephana, District- Ballia,
Uttar Pradesh-277503

09 NOV 2020

विषय:– **रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा वित्तीय रिपोर्टो का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0 76/PPEMS/Transparency/2014 दिनांक 14 अक्टूबर, 2014(प्रति सलंग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको समय समय पर प्रेषित की गयी है।

2– आयोग के उपरोक्त पत्र में रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट यथा– Contribution ,Annual audit and Election Expenditure reports प्रतिवर्ष मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग द्वारा उक्त वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को जमा किये जाने के संबंध में समयसीमा भी निर्धारित की गयी है, जो निम्नानुसार है–

1. Contribution report – आयकर विवरणी भरने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर या केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर द्वारा आगे बढाई गई ऐसी कोई तारीख।
2. Annual audit report – प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर।
3. Election Expenditure report – विधान सभा निर्वाचन समाप्ति के 75 दिनों के अंदर और लोक सभा निर्वाचन की समाप्ति के 90 दिनों के अंदर।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग के पत्र दिनांक 14.10.2014 की प्रति सलंग्न कर पुनः आपके स्मरणार्थ इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया आयोग के निर्देशानुसार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट निर्धारित समयानुसार इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस वर्ष जो राजनैतिक दल रिपोर्ट प्रेषित कर चुके हैं, उन्हें रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है।

सलंग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

चुनाव आयोग-

व्हाटशाप नं0- 9616556475 मो0नं0- 9319558185

राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल

प्रधान/प्रदेश कार्यालय ग्राम- बलेजी पो- फेफना जिला- बलिया (उ0प्र0)पिन कोड-277503

रजि0- 56/25/2019-19/ रा0द03अनु0-1

प्रत्रांक - 01 दिनांक- 02/11/2020

दिनेश कुमार यादव
राष्ट्रीय अध्यक्ष

सेवा में,

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश चतुर्थ तल विकास भवन जनपद मार्केट लखनऊ - 226001

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव/ प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश धीरज कुमार यादव संख्या 2262/ सीईओ-2-15/2-2018 दिनांक: 20 दिसम्बर 2019 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह के सम्बन्ध में लगा गये थे। जिसमें चुनाव चिन्ह दिल्ली के नाम पर एयरकन्डीसनर मिला था चुनाव सफल नहीं हो पाया उसके बाद चुनाव आयोग को 18/01/2020 को लिखित दिया हूँ कि भारत देश से अन्य देशों तक के लिए दल के नाम पर दिया जाए और उसमें लिखा गया था कि दल जब तक कम समय जिस राज्य में मिलता है उसमें असमर्थ हैं उसके बाद 3 साल पहले M.L.A प्रत्याशी / M.P. प्रत्याशी जब तक दल का कमिटी नहीं बना है भारतवर्ष में सभी धर्म को मिलाकर टिकट देने का कार्य करूँगा दल को पैसे की पूर्ति स्वयं लड़ने वाले प्रत्याशी ही देंगे जैसे:- 27000 M.L.A. और तीन साल पहले M.P. 45000 अपने उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष / प्रदेश अध्यक्ष ले सकते हैं चुनाव खर्च के लिए अन्य 36 प्रदेश में भी चुनाव कराया जाएगा उसका विवरण [illegible]
3 साल पहले 27000 M.L.A / M.P.
45000 राष्ट्रीय अध्यक्ष M.L.A. का
9000 M.P. का 27000 बचा हुआ
पैसा उस प्रदेश अध्यक्ष को दिया जाएगा।

राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल
अध्यक्ष
भारत (इण्डिया)

मो0- 9616556475

राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल (भारत)

प्रधान कार्यालय ग्राम- बलेजी पो0- फेफना जिला- बलिया (उ0प्र0)पिन कोड- 277503

जब M.L.A का चुनाव 7 माह बचेगा तब लड़ने वाले प्रत्याशी दल को चन्दा 100000 तक दे सकते है उससे अधिक देने वाले के ऊपर कानूनी कार्यवाही होगा M.P. का 200000 तक लिया जाएगा अध्यक्ष दुसरे प्रदेश से M.L.A. का 30% M.P. का 70% मुख्य कार्यालय में जमा करेंगे और एग्रीमेन्ट रसीद लेटर पर ही उत्तर प्रदेश M.L.A. 402 का एग्रीमेन्ट रसीद देंगे M.P. 80 उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष समस्त M.L.A. का चुनाव अकेले ही करायेंगे अन्य किसी दल से मिलकर नहीं जब दल की पुर्ण रूप से सरकार बनेगी तो उस राज्य का C.M. पद का उत्तराधिकारी प्रदेश अध्यक्ष ही होगा या पुर्ण रूप से सरकार न बनने पर कोई पार्टी राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल से समर्थन लेगी तो 9 विधायक से कम समर्थन का उस दल का C.M. बनेगा 9 से अधिक होने पर राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल का प्रदेश अध्यक्ष ही C.M. बनेगा उसी पर किसी दल से समर्थन किया जाएगा अन्यथा उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी लिखित देंगे कि तुम्हारे कहे अनुसार इनकी सरकार चलेगी तो आयोग के आदेश का मैं पालन करूँगा जैसे:- XYZ सभी सिस्टम का रेट 27% घटायी जाएगी और स्वयं बिजनेस राज्य सरकार या केन्द्र सरकार करेगी।

(2) पुर्ण रूप से उत्तर प्रदेश से लेकर भारत देश तक राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरे भारत की कमिटी लगभग ~~10809~~ 108999 की होगी उसमें भारत के सभी जगह से 18000 से 21000 तक मुस्लिम महिला पुरूष होंगे बाकि सभी हम हिन्दू महिला पुरूष जबतक पुर्ण रूप से तैयार नहीं होती है दल तब तक प्रत्येक तीन वर्ष में कमिटी के पदाधिकारी निकाले जायेंगे निकालने की तिथि 31/03/2023 को ही होगी।

मो0- 9616556475

राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल (भारत)

प्रधान कार्यालय ग्राम- बलेजी पो0- फेफना जिला- बलिया (उ0प्र0) पिन कोड- 277503

(3) राष्ट्रीय मुख्य कार्यकारणी लगभग 54 से 72 होगा X 2700 = 194400 उत्तर प्रदेश की कमिटी 54 से 72 X 2700 = 194400 मण्डल अध्यक्ष मण्डल कोषाध्यक्ष 18+18 = 36 X 2700 = 97200 जिले की फाईल 21 की होगी 5 जिला कार्यकारणी प्रदेश की फाइल में मुख्य पदाधिकारी होंगे 75 X 5 = 375 X 27 = 1012500 दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष / प्रदेश अध्यक्ष लेने का कार्य करेंगे उससे अधिक लेने पर मुख्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश कानूनी कार्यवाही राष्ट्रीय अध्यक्ष / प्रदेश पर कर सकते हैं

* 36 प्रदेश अध्यक्ष 36 X 27000 = 972000

राष्ट्रीय / प्रदेश = 239 X 2700 = 645300 यही मूल पैसा दल के मुख्य कार्यालय में हो सकता है दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक किसी पदाधिकारी से पद सदस्यता शुल्क नहीं लिये हैं हो सकता है कि 31/03/2023 तक किसी पदाधिकारी से सदस्यता शुल्क नहीं लिया जा सकता है उसके बीच में लिया जायेगा तो आयोग को सुचित किया जाएगा।

(4) अभी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दल को खड़ा करने में अपना निजी पैसा लगभग 07/12/2018 से 02/11/2020 तक 1229000 लगा चुके हैं जिसमें पुरे भारत में भारत निर्वाचन आयोग का जो किसी भी पार्टी को रजिस्टर्ड करने के लिए 10000 का चेक लगा है अन्य जहाँ भी गया हूँ पैसा के दम पर ही काम हुआ और भारत को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मित्रों से 126 X 111000 = 13986000 कर्ज में है यह कर्ज जब दल के पास में होगा तो 126 चालकों का पैसा वापस किया जाएगा यह पैसा किसी खाता में नहीं आया था न किसी खाता में दिया गया नगद आया नगद दिया गया और दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष HDFC मुख्य खाता का विवरण निर्वाचन आयोग में दिल्ली में दिया गया है अभी भी खाता माइनस में है 27/01/2021 के बाद दल के अध्यक्ष के पैसा से माइनस मुक्त हो सकता है।

मो0- 9616556475

राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल (भारत)

प्रधान कार्यालय ग्राम- बलेजी पो0- फेफना जिला- बलिया (उ0प्र0)पिन कोड- 277503

(5) दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी सिर्फ पदाधिकारीयों को जोड़ने का कार्य कर रहें हैं दल में कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि घर से खर्चा करें जब अन्तरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / उत्तर प्रदेश मुख्य कार्यालय / अन्तरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / उत्तर प्रदेश मिनी मुख्य कार्यालय / राष्ट्रीय / प्रदेश कैम्प कार्यालय लखनऊ अन्तरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय कैम्प कार्यालय होगा सभी जगह में सेलेरी पर पदाधिकारी रखे जायेंगे 31/03/2023 तक सभी पदाधिकारी से जैसे-तैसे काम करवाया जायेगा चुनाव खर्च के आधार पर 01/04/2023 से या 27/04/2027 तक पूर्ण रूप से दल सेलेरी देने में सक्षम होंगे इसके पहले प्रत्याशी से चुनाव कराकर मेन्टेनेन्स किया जायेगा बचा हुआ पैसा मुख्य चुनाव आयोग लखनऊ या भारत चुनाव आयोग अशोक रोड नई दिल्ली को दे दिया जाएगा दल में पैसा की कमी होने से आयोग को सूचित किया जाएगा और 01/04/2023 को दल के नाम का खाता, पैन कार्ड बनेगा या दल में पैसा की उत्पत्ति न होने से 01/04/2026 को भी खाता खोला जा सकता है इसलिए कि अभी देश-प्रदेश में 420 बहुत है उनसे बचने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा किया।

दिनांक: 23 दिसम्बर को जो लेटर दल के ऑफिस में श्री योगेश्वर राम मिश्र अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम से आया समय समाप्त होने पर 18/01/2020 को / दल के कार्यालय में आया

(6) संख्या: 2433(1)/सी०ई०ओ० - 4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के आधार पर निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग लखनऊ को अनुरोध किया जाता है कि कृपया आयोग के उपरोक्त निर्देशों को सभी दैनिक सामाचार पत्रों में तत्काल नि:शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें कि दल

मो0- 9616556475

राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल (भारत)

प्रधान कार्यालय ग्राम- बलेजी पो0- फेफना जिला- बलिया (उ0प्र0)पिन कोड- 277503

सभी प्रकार का चुनाव करायेगी उत्तर प्रदेश से लेकर भारत देश के होने वाले सभी प्रदेश में चुनाव करायेगी मुख्य बनकर किसी दल से मिलकर नहीं।

(7) दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष / प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कोविन्द-19 महामारी के चलते आज तक विश्व में सभी देश लड़ रहे हैं जिसके कारण पूर्ण रूप से साधन न मिलने पर दल के सभी कार्यो में विलम्ब हुआ इसके चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष समय से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार न कर सकें।

(8) दिनांक 24 सितम्बर 2020 (रमेश चन्द्र राय) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी भेजा गया लेटर 27/10/2020 को मिला इस मानक के आधार पर दल के नाम का वित्तीय वर्ष का धन आयात-निर्यात नहीं हो पाया मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश आपसे अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव के पास एग्रीमेन्ट कोर्ट ऑर्डर थर्ड ऑनर के नाम का दो गाड़ी है जो ट्रान्सपोर्ट कमीशन पर चलती है NL01G 6475 इण्डियन ऑयल L.P.G. गैस बेट कैपसीटी 18 टन का है दुसरी गाड़ी NL01N 7162 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कैपसीटी 18 टन ईस्ट रिजन L.P.G में चलती है और दिनेश कुमार यादव का एग्रीमेन्ट स्टाम्प कोर्ट ऑर्डर पर लिया गया है। इसका वित्तीय वर्ष 19-20 का रिटर्न कोविन्द-19 के चलते नहीं मिल पाया और यह 20-21 का रिटर्न जून 2021 को लिया जाएगा आपके मानक के आधार भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 76/PPEMS 14/10/2014 प्रति संलग्न ग्रहण करने का कष्ट है कि 01/04/2023 के पहले वित्तीय वर्ष का आंकड़ा देने में असमर्थ रह सकता हूँ किसी प्रकार धन की उत्पत्ति होने से आपको सूचित किया जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग को पहले से दल के संविधान में पूर्ण रूप से लिखित दिया गया है हम आयोग के साथ है आपके निर्देशों का पालन करूँगा।

मो0- 9616556475

राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल (भारत)

प्रधान कार्यालय ग्राम- बलेजी पो0- फेफना जिला- बलिया (उ0प्र0)पिन कोड- 277503

(9) (1) राष्ट्रीय कार्यकारणी लगभग : 72
(2) प्रदेश कार्यकारणी उत्तर प्रदेश 72
(3) मण्डल अध्यक्ष मण्डल कोषाध्यक्ष 18+18= 36
(4) जिला कार्यकारणी 75X21 = 1575 +
(5) विधानसभा कार्यकारणी 403X21= 8463
(6) ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश 59163X9 =532467
(7) पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जिस दिन ये सभी नेता दल में जुड़ जायेंगे उस दिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव/प्रदेश अध्यक्ष धीरज कुमार यादव उत्तर प्रदेश बलिया से दावा करता हूँ कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्रशासन तीनों में किसी को पब्लिक से शिकायत नहीं आयेगी और हमारे भारत देश में (1) वायुसेना (2) जल सेना (3) थल सेना चौथा कोई सेना की पब्लिक सुरक्षा करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दल की केन्द्र में सरकार बनेगी भारत देश से अन्य देशों तक सभी धर्म को मिलाकर राजनीत करेंगे जो दल में जाति की राजनीति करेंगे ~~अंत~~ अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष पुरी दुनिया का मालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस देश में रहेंगे उस देश का मालिक प्रदेश अध्यक्ष उस देश प्रदेश का मालिक गलती करेंगे तो इनकी सरकार स्थिफा दिलाने में उस देश के चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट साथ देने की कृपा करें और सभी धर्म के पब्लिक को समयानुसार नौकरी दिया जाए दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में हल्दियाँ डगरुरिया में 27 जनवरी 2021 के बाद दल चलाने के लिए गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्ट कमीशन एजेन्ट दिनेश रोड एसोसिएशन के आल इण्डिया के नाम का एजेन्ट बनेंगे भारत देश और देश के सभी राज्य सरकार मदद करें।

Shivamyadav

राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल
अध्यक्ष
भारत (इण्डिया)

राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल (भारत) मुख्य कार्यालय / मिनी मुख्य कार्यालय 12/09/2020

राष्ट्रीय / उत्तर प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय कैम्प / प्रदेश कार्यालय

मुख्य

अध्यक्ष
प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
U.P. प्रदेश
अध्यक्ष
प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
मकान मालिक
प्रतिनिधि
प्रतिनिधि ~~[illegible]~~
5 Extra
15-1
= 11+39+1
= 54

मिनी मुख्य

अध्यक्ष -1
उपाध्यक्ष-5
सचिव -5
महासचिव-5
कोषाध्यक्ष-1
संगठनमंत्री-1
सूचनामंत्री-3
मिडिया - 3
प्रचार मंत्री-3
सम्प्रेक्षक+-1
Aditer
सदस्य - 7
प्रवक्ता-3
टाइपिंग-2
एडवोकेट-9
वकील -
=

लखनऊ कैम्प

R. सचिव-1
R. मिडिया-1
R. प्रवक्ता-1
R. प्रचार मंत्री-1
P. महासचिव-1
P. सचिव -1
P. उपाध्यक्ष-1
P. सदस्य-1
P. प्रवक्ता -1
P. मिडिया -1
P. सूचनामंत्री -1
P. प्रचार मंत्री -1
= 12

अन्तरराष्ट्रीय के लिए दिल्ली को बाको दिया जाएगा लगभग 9

आर. सचिव - 2 दिल
R. महासचिव - 2
R. उपाध्यक्ष - 3
R. सदस्य - 1
R. प्रवक्ता - 1
R. मिडिया -1
R. प्रचार मंत्री -1
R. सूचनामंत्री -1
R. टाइपिंग - 1
= 13

दिल्ली प्रदेश कार्यक
21+13 = 34

ये सभी पदाधिकारी जो राष्ट्रीय है हिन्दी में भारत अंग्रेजी में इण्डिया और हिन्दी में उत्तर प्रदेश अंग्रेजी में U.P. ~~और~~ भारत

Note:- अन्य 36 प्रदेश में 36×5 = 180+36+36 इनके पास प्रदेश की मुहर होगी और हैण्ड लेटर सभी पदाधिकारी बनाने की कृपा करें समझ में न आने से अपने ~~[illegible]~~ ऊँचे पदाधिकारी से सम्पर्क करें।

राष्ट्रीय सचिव 32 राष्ट्रीय महासचिव 27 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 20 राष्ट्रीय सदस्य 13 ये सभी 92 अपनी मुहर हैण्ड लेटर ~~भारत~~ बनायेंगे जैसे - उडीसा भारत अंग्रेजी में ODISHA INDIA इसी तरह से सभी 92 राष्ट्रीय पदाधिकारी पहले अपने राज्य का नाम लिखेंगे उसके बाद भारत देश का नाम लिखेंगे और पदाधिकारी की जरूरत पड़ने से भविष्य में बढ़ाया जाएगा।

आज्ञा से राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव —

राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल (उत्तर प्रदेश)

मुख्य कार्यालय ~~प्रदेश~~ प्रदेश कैम्प कार्यालय (लखनऊ)

अध्यक्ष - 1
उपाध्यक्ष - 9
सचिव - 9
महासचिव - 9
कोषाध्यक्ष - 1
प्रतिनिधि - 3
संगठनमंत्री - 1
सूचना मंत्री - 2
प्रचार मंत्री - 2
मिडिया - 2
सम्प्रेक्षक - 1
सदस्य - 6
प्रवक्ता - 2
टाइपिंग - 2
उत्तर प्रदेश - 3
हाइकोर्ट - 1
लखनऊ
सचिवालय
एडवोकेट
= 54 - 9 = 45

R.
महासचिव - 1
सचिव - 1
उपाध्यक्ष - 1
सदस्य - 1
प्रवक्ता - 1
~~टाइ~~
प्रचार मंत्री - 1
सूचना मंत्री - 1
टाइपिंग - 1
मिडिया - 1

मण्डल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश 1
मण्डल कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश 1
जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश 75 +
+ 18 = 1

ये भी पदाधिकारी होंगे जब पूर्ण रूप से तैयार हो जायेंगे लगभग 9 दिसम्बर तक लखनऊ में मिटिंग किया जाएगा सभी पदाधिकारी आने की कृपा करें उनकी कृपा महान होगी जो आए पदाधिकारी माने जायेंगे

दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष / प्रदेश अध्यक्ष / राष्ट्रीय प्रतिनिधि - ओडिशा प्रदेश। अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार साहु जी के नेतृत्व में होगा जो कि 31/12/2020 से 31/03/2021 तक 403 M.L.A विधायक ऑनलाइन के जरिए चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाएगा दल के पदाधिकारी लड़ सकते हैं। मिटिंग में बताना पड़ेगा।

<u>नोट</u>:- जनता को परेशानी होने पर और पदाधिकारी बढ़ाया जाए

मुख्य कार्यालय में आजमगढ़ मंडल के बलिया जिला से 16 पदाधिकारी + मंच संचालक अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / प्रदेश मंच संचालक होंगे 16 + 3 = 19 और बढ़ाया भी जा सकता है

~~अ~~ अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / उत्तर प्रदेश साफ्टवेयर इंजीनियर - 3
अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / उत्तर प्रदेश - चार्टर्ड एकाउन्टेंट - 3
अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / उत्तर प्रदेश
कैमरामैन - 3
पूरे भारत में राष्ट्रीय / प्रदेश कार्यकारणी
=
1 + 1 + 36 =

दिनेश कुमार यादव /
प्रदेश अध्यक्ष धीरज कुमार यादव
बलिया

Date - 12/09/2020

પ્રદેશ મહામંત્રી મંત્રી ઉપાધ્યક્ષ મહત્વ

21 મહારાષ્ટ્ર 136	9	1	34/7	1	48	1	
22 અંડમાન નિકોબાર (03)	1 (6)		9/2				
23 દાદરા નગર હવેલી III			9/2		1		18
24 લક્ષદ્વીપ (01)	1 (6)		9/2		1		18
25 ગુજરાત 33	1 9	1	32/7	1	26	1	18
26 દમણ દીવ (01)	1 6		9/2		1		18
27 છત્તીસગઢ 29	1 9	1	22/4	1	11	1	90
28 મધ્યપ્રદેશ (51+1)	1 9	1	32/7	1	29	1	230
29 રાજસ્થાન 33	1 9	1	30/7	1	25	1	199
30 દિલ્હી 11	1 9	1	21/5	1	11	1	70
31 ઉત્તરાખંડ 13	1 7	1	21/4		5		70
32 હરિયાણા 22	1 8	1	21/3	1	10		122
33 પંજાબ 22	1 8	1	21/3	1	13		122
34 ચંડીગઢ 01	1 6		9/2		01		18
35 હિમાચલ પ્રદેશ 12	1	1	21/4	1	04	1	
36 જમ્મુ કાશ્મીર 22	8	1	22/7	1	06		
37 લદ્દાખ (22/2)	1 9	1	22/7	1	06	1	
Total 22/2					7241 4077		

5+13=18

3+32 3+27 3+20 R. R. R.

35 32+27+20+13 (30, 23) = 92+54 = 146+40 = 186

રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા બાલિયા લોયર 1 દિલ્હી 1

પ્રદેશ ~ ~ ~ ... 1 ... 1 3+2+3=8+1=9

આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા બાલિયા 2 દિલ્હી 1

दिनांक 11/07/2020

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक दल के पुरोहितगत देशसेवक।
अनाथ मंत्री देशों को चलाने के लिए सुविधा:

देश :- राष्ट्रीय कार्यकारणी इण्डिया :- SU: 3/3/3
724-543=18:

प्रदेश प्रदेश कार्यकारणी उत्तर प्रदेश SU: 403/80

राष्ट्रीय स्तर का :-

2 बिहार महामंत्रि सचिव उपाध्यक्ष सदस्य

2:: 38	9	31/7	40	243
3 झारखण्ड 24	7	24/5	13	81
4 आसाम 33	8+1	28/6	14	
5 नागालैण्ड 11	7	21/4	1	
6 त्रिपुरा 08		21/3	2	
7 मणिपुर 16	6	21/3	2	
8 मेघालय 11	6	21/4	2	
9 अरुणाचल प्रदेश 22/21	8	21/4	22-2	
10 मिजोरम 08	6	21/4	1	
11 सिक्किम 04	6	21/3	1	
12 पश्चिम बंगाल	9	30/7	42	294
13 ओडीशा 23 30	9	31/7	21	
14 आन्ध्र प्रदेश 13	7	21/4	13	
15 तेलंगाना 31	8	25/4	25	
16 केरला 14	8	21/14	20	
17 कर्नाटका 30	9	32/7	28	
18 तमिलनाडु 32	9	30/7	39	
19 पाण्डुचेरी 04	6	21/7	07	
20 गोवा 02	6.	21/3	2-1	

चुनाव आयोग-

व्हाटेशाप नं0- 9616556475 मो0नं0- 9319558185

राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल

प्रधान/प्रदेश कार्यालय ग्राम- बलेजी पो0- कैफना जिला- बलिया (उ0प्र0) पिन कोड-277503

रजि0- 56/25/2019-19/ रा0द0अनु0-1

10 JAN 2020

पत्रांक- ....11.. दिनांक- 18/01/2020

दिनेश कुमार यादव
राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा मे

सचिव भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली, 110001

महोदय,

सविनय निवेदन है कि राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव आयोग से क्षमा माँग रहा हूँ हमारे दल के बहुत कम समय मिलने के कारण 70 प्रतियाशी नही उतार सका हूँ 5 हि प्रतियाशी को फार्म A / B सेट के साथ में दिया गया है। सभी कागजात के साथ में जिला निर्वाचन अधिकारी से 21-1-2020 तक नामांकन करा सकते है या नही करने से दल का चुनाव निशान वापस माना जायेगा और अन्य सभी प्रदेश के लिए चुनाव निशान रेग्यर कन्डीशन ही आयोग देने की कृपा करे। अगले दिल्ली विधान सभा चुनाव में दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष / प्रदेश अध्यक्ष दोनो मिलकर निर्वाचन सदन के गेट के बाहर से पहले नामांकन या तिसरे दिन 70 प्रतियाशी को टिकट दिया जायेगा बिना पैसे के लेकिन विधानसभा के 2 साल पहले एग्रीमेन्ट रसीद काटी जायेगी 27,000 और लोकसभा का 3 साल पहले एग्रीमेन्ट रसीद 45,000 प्रदेश व देश के खर्च पुरा करने के लिए और दल को 6 मा पहले 1 लाख लिया जायेगा। चुनाव प्रचार के लिए खर्च पुरा होने के बाद दल के खाते में या भारत सरकार के कोष में जमा करने का कृपा करे भारत देश के लिए या अन्य देशो के लिए निशान देने की कृपा करे।

नोट :- दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष / भारत देश के सभी प्रदेश अध्यक्ष को सुचित किया जाता है। कि दल मे किसी प्रत्याशी की फाइनेन्शियल सपोर्ट नही किया जायेगा। लड़ने वाले प्रत्याशी अपना खर्च करके देश व प्रदेश मे सरकार बनाने की कृपा करेगे। सरकार बनने के बाद सभी खर्च वापस किया जायेगा। जीते विधायक को 2,25,000 सांसद को 2,75,000 सरकार से वापस किया जायेगा। सभी निधी बन्द किया जायेगा। और आयोग को सुचित किया जाता है कि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत से पुरी दुनिया के लिए नया संविधान बनाया है और सरकार बनने पर भारतीय संविधान पहले जनता को सुनाया जायेगा उसके बाद दल के संविधान को सुनाया जायेगा दोनो मे जो संविधान सही रहा उस संविधान को रखा जायेगा।

Dinesh kumar

राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल
अध्यक्ष
भारत (इण्डिया)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

६१।

संख्याः 2262 /सीईओ–2–15/2–2018 दिनांकः 20 दिसबर, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष/महासचिव/कोषाध्यक्ष,
Rashtriya Yuva Morcha Dal
Village-Baliji, Post-Phephana,
District- Ballia, Uttar Pradesh-277503 ।

विषयः– रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा वित्तीय रिपोर्टो का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0–76/PPEMS/Transparency/2014 दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रों के माध्यम से पूर्व में आपको प्रेषित की जा चुकी है।

2– आयोग के उक्त निर्देश में समस्त रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट जैसे– Annual audit, Contribution and Election Expenditure reports संबंधी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश को भेजे जाने के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु कतिपय रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध न कराकर भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जा रही है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि कृपया अपनी पार्टी के Annual audit, Contribution and Election Expenditure reports की प्रति भारत निर्वाचन आयोग को न उपलब्ध कराकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

[redacted]

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–2433 / सी0ई0ओ0–4–53 / 4–2019 लखनऊ: दिनांकः 23 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **अर्हता तिथि 01.01.2020 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 29.12.2019, 05.01.2020 तथा 12.01.2020 को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय पर कृपया भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–23 / भा0नि0आ0 / पत्र / टेरी0 / उ0अ0–।।।–उ0प्र0 / 2019 दिनांक 23.12.2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से सम्प्रति चल रहे अर्हता तिथि 01.01.2020 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाने से सम्बन्धित प्रेषित प्रस्ताव पर आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आयोग के पत्र संख्या–23 / भा0नि0आ0 / पत्र / टेरी0 / उ0अ0–।।।–उ0प्र0 / 2019 दिनांक 17.12.2019 में दिए गए निर्देशों के आलोक में आलेख्य प्रकाशन दिनांक 23.12.2019 से 22.01.2020 तक की समयावधि के अन्तर्गत तीन विशेष अभियान दिवस दिनांक 29.12.2019 (रविवार), 05.01.2020 (रविवार) तथा 12.01.2020 (रविवार) को किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर आयोग द्वारा अनुमोदन उपलब्ध कराया गया है।

अतः कृपया अर्हता तिथि 01.01.2020 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त विशेष अभियान दिवसों यथा–**दिनांक 29.12.2019 (रविवार), 05.01.2020 (रविवार) तथा 12.01.2020 (रविवार)** के सम्बन्ध में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अन्य सभी संबंधितों के संज्ञान मे लाते हुए आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या:2433(1) / सी0ई0ओ0–4 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आयोग के उपरोक्त निर्देशों को सभी दैनिक समाचार पत्रों में तत्काल निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ को आकाशवाणी से प्रसारण कराने हेतु।
3. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को दूरदर्शन से प्रसारित कराने हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष / मंत्री, समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दल, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अधिकारी / अनुभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

(योगेश्वर राम मिश्र)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

570 कॉपी

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं०:- 23/भा०नि०आ०/पत्र/टी०/उ०अ०-III-उ०प्र०/2019 दिनांक: 23 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषय:- **अर्हता तिथि 01.01.2020 के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण – मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं० 2409/सी०ई०ओ०-4-53/4-2019, दिनांक 19.12.2019 के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

भवदीय,

(प्रफुल्ल अवस्थी)
अवर सचिव

प्राप्त 18/01/2020

<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

फा0 सं0- 56/25/2019/पीपीएस-1 दिनांकः 9 सितम्बर, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल,
ग्राम- बलेजी, पोस्ट- फेफना,
जिला- बलिया,
<u>उत्तर प्रदेश- 277503</u>

विषयः **"राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल"**- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण के संबंध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने **"राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल"** का राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण करने के लिए आपके दिनांक **12.01.2019** के आवेदन और उक्त आवेदन-पत्र में विवरण/प्रकथन के समर्थन में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में दिनांक **27.06.2019** को आयोग के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद तथा यह ध्यान में रख कर कि समाचार पत्रों में आवेदक द्वारा प्रकाशित पब्लिक नोटिस के जवाब में उक्त नाम से पार्टी के पंजीकरण पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन **"राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल"** को दिनांक **26.08.2019** से राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है।

2. आपके दल की पंजीकरण संख्या **56/25/2019-19/रा0द0अनु0-1** है।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबंधित दल अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्विक मामले में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देगा। इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगीः-

(i) दल के संविधान में निर्धारित सक्षम समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।

(ii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।

(iii) उपरोक्त बैठक में उपस्थिति रजिस्टर का उद्धरण (extract)जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि यह पंजीकरण दल को किसी अन्य चिन्ह को आरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 12 के अधीन निर्वाचन में दल द्वारा विधिवत रूप से खड़े किए गये अभ्यर्थी, मुक्त प्रतीकों के आवंटन में निर्दलीय अभ्यर्थियों के उपर वरीयता का लाभ पाने के पात्र होंगे। तथापि, प्रतीक आदेश के पैरा 10 ख के प्रावधानों के अधीन लोक सभा या राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 5% सीटों से चुनाव लड़ने वाले पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गये अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि पार्टी उक्त पैरा 10 ख में उल्लिखित प्रत्येक शर्त को पूरा करती हो।

5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख और 29ग के प्रावधानों के अन्तर्गत (राजनैतिक दलों को अंशदान से संबंधित), दल को एक वित्तीय वर्ष में रू0 20,000/- से अधिक प्राप्त संदान/अंशदान के बारे में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्रारूप 24क में एक रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी रिपोर्ट में दल की स्थायी खाता संख्या (PAN) का विवरण देना होता है। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने दल का स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त कर आयोग को उसका विवरण दल के पंजीकरण से छः माह के भीतर सूचित कर दें।

6. यह भी सूचित किया जाता है कि किसी राजनैतिक दल का पंजीकरण करते समय आयोग राजनैतिक दलों के ध्वजों को अनुमोदित नहीं करता है और यदि दल का अपना ध्वज है तो यह उस दल की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 या भारत के फ्लैग कोड अथवा इस विषय से संबंधित अन्य किसी सुसंगत विधि के उपबंधों का उल्लंघन न करे और यह भी कि उसका ध्वज किसी अन्य राजनैतिक दल के ध्वज का किसी भी प्रकार से अनुकरण न करे।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार शर्मा)
सचिव

फा0 सं0- 56/25/2019/पीपीएस-1 **दिनांकः 9 सितम्बर, 2019**

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 32- स्टेशन रोड, लखनऊ- 226001, उत्तर प्रदेश।
3. राजनैतिक दल अनुभाग-111
4. गार्ड फाईल।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
सचिव